(a) in column 4, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Pay Band 2(Rs. 9,300- 34,800) with Grade Pay of Rs. 4,200";

(b) in column 13, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"1. Additional Secretary (Admn.) or Joint Secretary (Admn.) Department of Legal Affairs —Chairman

2. Deputy Secretary, Department of Legal Affairs —Member

3. Any Group A officer nominated by Law Secretary —Member";

(iii) in serial number 2, against the post of the Senior Court Clerk Grade II,—

(a) in column 4, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Pay Band 1 (Rs. 5,200-20,200) with Grade Pay of Rs. 2,400";

(b) in column 13, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"1. Additional Secretary (Admn.) or Joint Secretary (Admn.), Department of Legal Affairs. —Chairman

2. Deputy Secretary, Department of Legal Affairs —Member

3. Any Group A officer nominated by Law Secretary —Member".

[F.No. A-12018/10/2011-Admn. I (LA)]

M. K. SHARMA, Jt. Secy. and Legal Adviser

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 98, dated the 19th December, 2001.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 215.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलुरू (उच्च श्रेणी लिपिक-सह भंडारपाल) भर्ती नियम, 2010 को, जहां तक इसका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक-सह भंडारपाल पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) के अधीन केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलुरू में उच्च श्रेणी लिपिक-सह भंडारपाल के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बैंगलुरू (उच्च श्रेणी लिपिक-सह भंडारपाल) भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उच्च श्रेणी लिपिक-सह-भंडारपाल	04* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच । केन्द्रीय सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी । **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप-खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्य द्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । **टिप्पण 2 :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए अंतिम तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बेचलर डिग्री **वांछनीय :** (i) कंप्यूटर प्रचालन में बुनियादी ज्ञान (ii) प्रशासन, लेखा और भंडार रक्षण में अनुभव	नहीं	दो वर्ष : सीधी भर्ती के लिए । शून्य: प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए ।

(7)
टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।   **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
25% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 75% सीधी भर्ती द्वारा	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए और ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे विभागीय अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण :** उच्च श्रेणी लिपिक और भंडारपाल को चक्रानुक्रम से प्रत्येक तीन वर्ष में अंतर्बदल किया जाएगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. निदेशक, केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बेंगलुरू —अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (सिविल इंजीनियरी), केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बेंगलुरू —सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बेंगलुरू —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 4-9/2010-मा. प्रशासन]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, thr 11th July, 2011

G.S.R. 215.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore (Upper Division Clerk-cum-Store Keeper and Lower Division Clerk), Recruitment Rules, 2010, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk-cum-Store Keeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk-cum-Store Keeper in the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru, under the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying

and Fisheries), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru (Upper Division Clerk-cum-Store Keeper), Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc..—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Upper Division Clerk-cum-Store Keeper	4* (2011) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200-20200 with Grade pay of Rs. 2400	Non-selection	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub division of

(6)
Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : Bachelor's degree from a recognized University. **Desirable :** 1. Basic Knowledge in computer operations 2. Experience in Administration, Accounts and Storekeeping. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission , for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	No	Two years for direct recruits. Nil : for promotees

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
25% by promotion failing which by direct recruitment. 75% by direct recruitment.	Departmental Lower Division Clerk in Pay Band-1, Rs. 5200–20200 with Grade Pay of Rs. 1900 with eight years regular service in the grade. **Note :** The Upper Division Clerk and Store Keeper shall be interchanged for every three years on rotation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Promotion and confirmation) consisting of :— 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangaluru —Chairman 2. Deputy Director (Civil Engineering) Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangaluru —Member 3. Administrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangaluru —Member	Not applicable

[F. No. 4-9/2010-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 216.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समाकलित मात्स्यिकी परियोजना (वर्ग 3) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक इसका संबंध वैज्ञानिक सहायक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वस्ट प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि में वैज्ञानिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वस्ट प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि, (वैज्ञानिक सहायक) भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।